भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

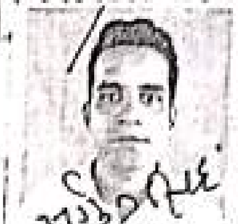

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 MAR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 256460

ट्रस्ट डीड

मै अुर्जन सिंह पुत्र श्री गंगा सागर सिंह , निवासी ग्राम व पोस्ट– भीखापुर, कानीडीह, तह0–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ का हूँ । जिन्हीं आगे व्यवस्थापक / न्यासीगण कहा गया है । व्यवस्थापको की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने की है, जिसके लिए व्यवस्थापको ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है ।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अकन 11000/– रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्देश्यो की पूर्ति हेतु व्यवस्थापको ने उक्त राशि अकन 11000/– रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियो एव प्राविधानो के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे । उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है उक्त व्यवस्थापको ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे है । अत व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि –

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम माँ गायत्री ट्रस्ट (MAA GAYATRI TRUST)
2. यह कि उक्त का पजीकृत व प्रशासनिक कार्यालय भीखापुर, कानीडीह, तह0–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ जिला–प्रतापगढ़ होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कही पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते है ।
3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अकन 11000/– रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य मे ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियो तथा कर्तव्यो को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे ।

...2

CHAIRMAN

Arjun Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 256461

27 MAR 2017

कोषागार-इलाहाबाद

4. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियो को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओ व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्याय के उद्देश्यो मे परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओ व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

6. यह कि कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगन ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यो में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं ।

<u>ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य :–</u>

(1) मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना करना व संचालन करना ।
(2) इजीनियरिंग कालेज की स्थापना व संचालन करना ।
(3) कम्प्यूटर कोचिंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना ।
(4) बेरोजगार जरूरतमन्द व बेसहारा स्त्रियो के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना ।
(5) लड़के व लड़कियो के लिये अलग–अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना ।

Arjun Singh

...3

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 MAR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 256462

(6) स्कूल, कालेज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यावसायिक कोर्स हेतु कालेजो की स्थापना करना व संचालन करना ।

(7) नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना ।

(8) शिक्षा का प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना ।

(9) शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन कराना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूप तथा हास्टल/छात्रावास आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना ।

(10) सभी प्रकार की फिल्मे, टैली फिल्म, फीचर फिल्म आदि का निर्माण करना । तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण देना तथा इससे सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप करना ।

(11) धर्मशाला, आश्रम, केश, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द तथा सभी के लिये धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना ।

(12) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगो तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमन्द छात्र / छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना तथा जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना ।

Arjun Singh

...4

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH

न्यारी

Registration No : 13 Year : 2017 Book No. 4

0101 अर्जुन सिंह Arjunsingh

गंगा सागर सिंह

नंदपुर कार्तिक

35

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 MAR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 256463

(13) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एव मास्टर फ्रेन्चाइजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों कर्मचारियो को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एव सर्विस प्रोवाइड करवाना ।

(14) समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारो को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना ।

(15) समाज के प्रत्येक वर्ग मे एड्स एवं गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध मे जागरूकता पैदा करना ।

(16) गगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार केन्द सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियाँ देना ।

(17) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एव लेटेस्ट तकनीक द्वारा करना ।

(18) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओ का संचालन एव स्थापना करना ।

(19) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना । शहरो मे पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो । खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अभाव भी न हो पाये ।

(20) निरीह प्राणियो, पशु एव पक्षियो की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एव उनके लिये चिकित्सालयो की स्थापना व व्यवस्था करना ।

...5

Arjun Singh

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 MAR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DN 256464

(21) स्कूल व कालेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना ।

(22) कृषि भूमि तथा अन्य जमीन, जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हे क्रय–विक्रय कराना, हस्तानान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना ।

(23) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि-क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना ।

(24) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना व दान की रसीद देना ।

(25) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो ।

(26) यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/ वर्कशाप आयोजित करना ।

(27) भारत सरकार, राज्य सरकार व सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन के सहयोग से सामाजिक कार्य करना ।

(28) यह कि धर्मशाला एवं मंदिर का निर्माण करना तथा शादी, विवाह हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करना जिससे समाज के गरीब वर्ग के लोगों को लाभ हो सके ।

CHAI...
MAA GAYA...
KUNDA-PRATA...

Arjun Singh

...6

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 MAR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 256465

कार्यक्षेत्र :–

7 यह कि न्याय/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा ।

ट्रस्टीगण के अधिकार व कर्तव्य एवं नियुक्ति :–

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहें जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर मे कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

9 यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागो को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों मे से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं ।

10 यह कि व्यवस्थापकों / ट्रस्टीयों के ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने मे से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है । अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकर होगा । अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा । बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

11. यह कि अर्जुन सिंह पुत्र श्री गंगा सागर सिंह उपरोक्त ट्रस्ट की अध्यक्ष व श्री रघुराज सिंह पुत्र श्री गंगा सागर सिंह निवासी ग्राम व पो0– भीखापुर, कानीडीह, तह0–कुण्डा, प्रतापगढ़ (उ0प्र0) उक्त उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होंगे । अन्य ट्रस्टी सदस्यो को पद एवं अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेंगे ।

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH

Arjun Singh

...7

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 MAR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DN 256466

12. यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष एव सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा तथा वो व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेगे । अध्यक्ष एव सचिव का कभी चुनाव नही होगा और ना ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेगे । उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकते है तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियो मे से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा । यदि उक्त पदाधिकारियो मे से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग–पत्र देता है तो व्यवस्थापको को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा । यदि कोई व्यक्ति स्वय ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग–पत्र देता है और उसे सचिव अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा । ऐसी दशा मे त्याग–पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेगे ।

1 यह कि पदाधिकारियो के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगे –

<u>अध्यक्ष :–</u> ट्रस्ट की सभी बैठको की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रूप से सचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना ।

<u>उपाध्यक्ष :–</u> अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष के कार्य करना । किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वही वैध होगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एव सचिव से करा लिया जायेगा ।

<u>सचिव :–</u> ट्रस्ट की बैठको मे पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशो को कार्य रूप मे परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारु रूप से सचालित करना । सभी बैठको को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही को पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर मे लिखकर अध्यक्ष से सत्यापित करना । अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियो को भेजना । ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना । ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पतियो का पूर्ण विवरण, रख कर उनकी सुरक्षा करना ।

Arjun Singh

...8

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA PRATAPGARH

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 502418

उप सचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना ।

ट्रस्ट का समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना । ट्रस्ट का समस्त
कोषाध्यक्ष:– ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना । ट्रस्ट
व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हो, उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना । ट्रस्ट
के खाते का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या अध्यक्ष व सचिव में से किसी एक
पदाधिकारी द्वारा भी खाता का संचालन किया जा सकेगा ।

2 यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे – न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करो से
सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव
करेंगे । किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक
अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेंगे । यदि किसी
विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

3 यह कि अध्यक्ष व सचिव समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं
संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं व उनमें से एक या अधिक
ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी
प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को
सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान
करने की शक्ति होगी । साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही
उक्त समस्त प्रबन्धक समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे
तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है ।

4 यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट
जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में
निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

...9

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH

Arjun Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये भारत Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 502419

5 यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणत ट्रस्ट कार्यालय मे होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा ।

6 यह कि अध्यक्ष एव सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये समय–समय पर व्यक्तिगत वित्तीय सस्थाओ, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा । अध्यक्ष एव सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों को बधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिये उधार/ऋण/ बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा । अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियो को सभी प्रकार के शेयरो, ऋण पत्रो व अन्य प्रतिभूतियों मे निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

7. यह कि अध्यक्ष एव सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु कही भी चल व अचल सम्पत्ति किन्ही भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यो के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यो से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा ।

8. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियो की सख्या का 1/3 अथवा किन्ही तीन ट्रस्टीयो का जो भी अधिक हो होगा । यदि कोरम के अभाव मे सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणो को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा । स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नही हो सकती । ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों मे अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी ।

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH

Arjun Singh

...10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

भारत

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 502420

9. यह कि उक्त व्यवस्थापको को ट्रस्ट द्वारा सचालित संस्थाओं से अपनी तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा ।

10. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तादायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण, बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं, और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण न हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नही होंगे ।

11. यह कि अध्यक्ष एव सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग का व्यवसाय करती हो, मे खोल और रख सकते हैं । उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स–खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एव सचिव द्वारा होगा या उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन भी किया जा सकेगा ।

12. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा । ट्रस्ट के नाम नियम एव उद्देश्यो मे परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा । अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमश: उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा ।

13. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH

Arjun Singh

...11

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AA 502421

14. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट का प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

15. यह कि न्यासी/ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके । ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे । अध्यक्ष एव सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा । प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा । जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी तथा नव-नियुक्त ट्रस्टी को एतद् द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा ।

16. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा मे परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नही होंगे ।

Arjun Singh

...12

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

33AA 508104

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (12)

17. यह कि ट्रस्ट की डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।

18. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों / परिसम्पत्तियों को निराकरण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते है।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

मुकिर अर्जुन सिंह के अंगूठे के निशानात। नि॰ अ॰ अर्जुन सिंह

Arjun Singh

साक्षी सं0 1– वेद प्रकाश सिंह पु॰ श्री बाल सिंह चल स्टेशन रोड-कुण्डा, प्रतापगढ़

वेद प्रकाश सिंह 31/3/17

साक्षी सं0 2– रघुराज सिंह S/o श्री गंगा सागर सिंह ग्रा॰ व पोस्ट भोलापुर कालीडीह त॰ कुण्डा प्रतापगढ़

आलेख्य श्री लालसिंह एडवोकेट कुण्डा। लाल सिंह एड॰ 31.3.17

यह ट्रस्ट डीड आज दि0 31.03.2017 को स्थान तहसील परिसर कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ में लिपिबद्ध व [illegible]

कुण्डा-प्रतापगढ़

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH

क्र0 ... दि0 ... 31-3-17
स्टाम्प सं0 ...
बदस्त ...
तहसील ... प्रतापगढ़

उदय प्रताप मिश्र
स्टाम्प वेण्डर
तह0 कुण्डा
ला0 नं0 16

आज दिनांक 31/03/2017 को

बही सं 4 जिल्द सं 50

पृष्ठ सं 17 से 42 पर क्रमांक 13

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिग्विजय सिंह
उप निबन्धक
कुण्डा प्रतापगढ़

CHAIRMAN
MAA GAYATRI TRUST
KUNDA-PRATAPGARH